DR Krishnadeo kumar bharti
Assistant professor (G.T)
C.M.J College Donwarihat
Khutauna, Madhubani
Emil----Kdkbharti08@gmil.com
B.A Part--- 2 Date--04-07-2020
Mo.No--9234999361.

Describe the composition, powers and functions of Legislative Council of Bihar.
*(*बिहार विधान के संगठन एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए।*)*

भारतीय संविधान लागू होने से पूर्व ही बिहार विधानपरिषद का अस्तित्व था।संविधान लागू होने पर इसकी सदस्य संख्या *72* थी।लेकिन *1954* ई० में संसद द्वारा कानून बनाने के कारण इसकी सदस्य संख्या बढ़ा दी गई।वर्त्तमान में इसकी सदस्य संख्या *96* है।इसमें *34* सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा *34* विधान सभा द्वारा *8* शिक्षकों द्वारा,*8* स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते है तथा *12* सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है।

विधान परिषद का संगठन:---संविधान के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या की एक चौथाई से अधिक नहीं होगी। परन्तु उनमें कम से कम चालीस सदस्यों का होना आवश्यक है।*1956* में संविधान का सातवें संशोधन के द्वारा इस व्यवस्था में परिवर्तन हो गया है।इसके अनुसार अब सदस्यों की कुल संख्या संख्या के तीसरे भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए परन्तु अभी भी इसकी सदस्य संख्या *40* से कम नहीं होनी चाहिए।

वर्तमान में निम्नलिखित प्रकार से इसका संगठन होता है--*1.*विधान परिषद के लिए एक तिहाई सदस्य ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होगें जिनमें राज्यों की नगरपालिकाओं जिला परिषदों तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं के सदस्य होंगे और जिन्हें संसद कानून द्वारा निश्चित करेगा।
2. इस परिषद की कुल सदस्य संख्या के बारहवें भाग का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मण्डल द्वारा द्वारा होगा जिसमें भारत के किसी भी विश्वविद्यालय के बराबर की अन्य योग्यता रखते हों।
3. कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन विधान सभा के सदस्यों वैसे व्यक्तियों में से करेंगे जो विधान सभा के सदस्य नहीं है।
4. शेष सदस्य, अर्थात सदस्यों की संख्या का छठा भाग, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जायेंगे।राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को मनोनीत करेगा जिन्हें साहित्य विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव हो।
कार्य काल:--

विधान परिषद एक स्थायी सदन है।इस सदन का विघटन कभी नहीं होता है।इसके एक तिहाई प्रति छः वर्ष के पश्चात अपने पद से हट जाते हैं और रिक्त पदों की पूर्ति नये सदस्यों द्वारा होती है।इस तरह *1:3* हर दूसरे साल अवकाश प्राप्त करते हैं।

परिषद के अधिकारी:--विधान परिषद के सदस्यों में से ही एक सभापति और एक उपसभापति को चुनेंगे।इसके कार्य वहीं होगें जो क्रमशः विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के हैं।
निर्वाचन पद्धति:---विधान परिषद के समस्त सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है मतदान गुप्त रीति से होता है।

विधान परिषद तथा सधारण विधेयक:----

विधान परिषद को राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर पर कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन इस क्षेत्र में इसका अधिकार सीमित है।यह सत्य है कि कोई भी साधारण विधेयक इस सदन में उपस्थित किया जाता है लेकिन विधान सभा की इच्छा ही सर्वोपरि है।विधान सभा द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अस्वीकृत अवश्य कर सकती है परन्तु इस सम्बन्ध मे अन्तिम विजय विधान सभा की होती है। यदि विधान सभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को विधान परिषद अस्वीकार कर दे अथवा ऐसे संशोधनों के साथ पारित करें जो विधान सभा को स्वीकार नहीं हो अथवा तीन महीने से अधिक समय के लिए रोक ले तो विधान सभा उस विधेयक को दुबारा पारित कर विधान परिषद के पास भेज सकती है।यदि इस बार विधान परिषद उसे स्वीकार कर दे अथवा ऐसे संशोधन के साथ पारित करें जो विधान सभा को मान्य नहीं हो अथवा एक महीने से अधिक समय तक उसे रोक ले तो वह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित रूप में ही दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जायेगा और राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जायेगा।इस प्रकार विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिक से अधिक *4* महीनों तक पारित होने से रोक सकती है।

आगे, धन्यवाद।

2020-07-04
From vivo Note

Scanned with CamScanner